

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

पत्र क्रमांक: 56 / एमसी / रेकू / 2026

भोपाल दिनांक: 26/03/26

::सूचना ::

गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग, स्टेट वायरोलॉजी लैबोरेटरी में संचालित म. प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, के अंतर्गत एस.आर.एल केन्द्र में लैब टेक्नीशियन 01 पद के रिक्त पद पर विज्ञप्ति क्रमांक :42/एमसीरि/क्र/2026 दिनांक 09.03.2026 के अनुक्रम में दिनांक 26.03.2026 को आयोजित साक्षात्कार (Interview) के आधार पर, चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में रखा गया है:


स. क्र. पात्र उम्मीदवारों के	नाम पिता/पति का नाम	परिणाम
DEEN DAYAL PAL	PREM LAL PAL	Selected
KRISHNA KUMAR PATEL	SHUKHADEV PATEL	WL - 1
KAVITA SHAKYA	SHRI LALCHAND SHAKYA	WL - 2
MANMOHAN AHIRWAR	PREM NARAYAN AHIRWAR	WL - 3

चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शर्तें एवं निर्देश:

- रिपोर्टिंग (Reporting): चुने हुए उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने पर 31 मार्च 2026 तक डॉ. दीप्ति चौरसिया, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल, को रिपोर्ट करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- प्रतीक्षा सूची (Waiting list) परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, या प्रोग्राम की अवधि पूरी होने तक-इनमें से जो भी पहले हो-वैध रहेगी।
- नियुक्ति की प्रकृति (Nature of Appointment): यह नियुक्तियां पूर्णतः संविदात्मक (Contractual) हैं और परियोजना के साथ ही समाप्त (Co-terminus) हो जाएंगी। प्रारंभिक नियुक्ति वित्तीय वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषजनक कार्य प्रदर्शन और NACO से निरंतर फंड प्राप्त होने के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- नियमितीकरण का दावा नहीं (No Claim for Regularization): यह नियुक्ति केवल इस विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को GMC भोपाल, NACO या भारत सरकार के अधीन नियमित नियुक्ति, अवशोषण या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. अनुबंध (Agreement): चयनित उम्मीदवारों को 500/- रुपये के गैर जिक स्टाम्प पेपरन्या-
(Non Judicial Stamp Paper) पर एक अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध एग्रीमेंट से /
संबंधित समस्त व्यय उम्मीदवार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

6. आवास: संस्थान या नोडल अधिकारी द्वारा कोई हॉस्टल या अन्य आवास सुविधा प्रदान नहीं
की जाएगी।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)